



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

Email- soexamfive@gmail.com

संख्या: 220 / 14 / E-5 / DR / ग0प0 / 2023-24

दिनांक :: 03 दिसम्बर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा-2023 से संबंधित अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र बधानी (अनुक्रमांक 600423) के प्रत्यावेदन दिनांक 18.10.2024 पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निस्तारित कर दिया गया है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	निस्तारण आदेश
01	02	03	04
1	सुरेश चन्द्र बधानी	600423	<p>अभ्यर्थी श्री बधानी द्वारा अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उक्त अभ्यर्थी को दिव्यांगता श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया था।</p> <p>अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 18.10.2024 द्वारा अलग-अलग तिथियों में बनाये गये अलग-अलग विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सन्निरीक्षा के समय प्रस्तुत अस्थायी विकलांगता का होने के कारण अभ्यर्थन निरस्त किया गया है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी श्री बधानी द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 18.10.2024 राजकीय</p>

			<p>दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा-2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत पी0एच0 (ओ0एल0) श्रेणी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत परीक्षा में शामिल किये जाने का अनुरोध पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।</p>
--	--	--	---

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।